

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 1264 / 33-1 / उरई, दिनांक अक्टूबर 23 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
वुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी।

विषय:- पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड WR-II झांसी द्वारा 765 केवी सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है, संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है। संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयाग एवं उस पर अवयसथित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पत्रांक-WR-II/TLC/JHS/SAT-GWL/395 दिनांक 12.10.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित लोक निर्माण विभागए उरई का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्नकर पुनः प्रस्ताव चार-चार प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी0आर0 अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक वुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी0आर0 अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।